फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

इन्द्रसेन बनाम रामकुमार व अन्य

प्रकरण संख्या 2023/003

online #

अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए एक्ट

ांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
23	वादी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 02 फरवरी, 2023 को पेश हो. [signature]	
23	आज पीठासीन अधिकारी अवकाश/... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/2/23 को पेश हो	
23	अधिवक्तागण उपस्थित, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रोबिन कुमार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा मय अपने-अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत कर आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित किए वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 की पहचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रोबिन कुमार द्वारा की गई। प्रतिवादी सं० 7 पैरोकार राज की ओर से जवाब राजीनामा प्रस्तुत, पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 8/2/23 को पेश हो। [signature]	Inderjain [illegible] 7/02/2023 रामकुमार पूनम सुमन [illegible]
23	अधिवक्तागण उपस्थित, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर जारी किया गया, वकील वादी द्वारा डिक्री हेतु अपेक्षित स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए गए अतः डिक्री जारी हो। पत्रावली नस्तीबद्ध हो, पत्रावली प्राप्य नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर की सूची पेश किया हो। [signature]	[illegible] रा.क.न.ता.

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
वाद संख्या 03/2023
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

इन्द्रसेन पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ....वादी

ब ना म

1. रामकुमार पुत्र श्री मनफूल राम
2. पूनम पुत्री श्री रामकुमार
3. सुमन पुत्री श्री रामकुमार

} जाति जाट सा0 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

4. रणजीत पुत्र श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री काशी राम जाति जाट सा. दुलमाना तह0 पीलीबंगा
5. जसवन्त पुत्र श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री काशी राम जाति जाट सा. दुलमाना तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. शकुन्तला पुत्री श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री काशी राम जाति जाट निवासी 1 एम एल के जालवाली तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रति. संख्या 1 ता 6)
पैरोकार राज (प्रतिवादी संख्या 7)

दिनांक08 फरवरी 2023

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी के पड़दादा श्री काशी राम पुत्र श्री माना राम के नाम से वाके चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर में पुश्तैनी कृषि भूमि थी। श्री काशी राम के 4 पुत्र तथा 4 पुत्रियां थी। वादी के पड़दादा श्री काशी राम के देहान्त के पश्चात सभी वारिसान को 1/4–1/4 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई। इसी क्रम में वादी के दादा श्री मनफूल राम को अपने पिता श्री काशी राम से 1/4 हिस्सा यानि 0.3715 हैक्टेयर रकबा व वादी के दादा की बहिन श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री श्री काशी राम (प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 व 7 की माता) को भी 1/4 हिस्सा यानि 0.3715 हैक्टेयर रकबा प्राप्त हुआ। वर्तमान जमाबन्दी चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/21 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 2.972 है0 नहरी कृषि भूमि में से वादी के दादा श्री मनफूल राम पुत्र श्री काशी राम के नाम से 1485/11888 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 की माता यानि वादी के दादा की बहिन लक्ष्मी देवी के नाम से भी 1485/11888 हिस्सा रकबा दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। वादी के दादा श्री गनफूल राम की बहिन श्रीमती लक्ष्मी देवी (प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 7 की माता) ने अपने जीवनकाल में अपने हक वा हिस्सा की कृषि भूमि का मौखिक रूप से हक परित्याग वादी के दादा मनफूल राम के पक्ष में कर दिया था तथा मनफूल राम अपने जीवनकाल तक अपनी 0.3715 है0 व अपनी बहिन (प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 7 की माता) से प्राप्त 0.3715 है0 कुल 0.743 हैक्टेयर रकबा के मालिक व काबिज रहे। वादी के दादा मनफूल राम व दादा की बहिन श्रीमती लक्ष्मी देवी का देहान्त हो चुका है। वादी के दादा मनफूल राम के देहान्त के पश्चात, उनके एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 रामकुमार हैं तथा उक्त 0.743 हैक्टेयर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को जद्दी जायदाद के रूप में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजो से विरासत मे प्राप्त हुई हैं तथा जदी जायदाद (पैतृक सम्पत्ति) है। हिन्दू विधि के अनुसार संतान का अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म लेते ही हक पैदा हो जाता है। उक्त सम्पति पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा बनता है। वादी की बहनों ने भी अपने हक वा हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है तथा वह उक्त पैतृक सम्पत्ति में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति से उक्त भूमि का बंटवारा वादी के साथ करके घरू बंटवारानुसार उक्त भूमि वादी को बंटवारा में दी हुई है। जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है तथा उक्त भूमि में काश्त कर रहा है तथा उक्त भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा हुआ

Scanned with OKEN Scanner

है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा तथा प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 7 से भी, जो भूमि लक्ष्मी देवी पुत्री काशी राम के नाम से दर्ज है, तुम्हारे नाम करवा दूंगा। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा, मगर दिनांक 01.12.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। इस प्रकार वादी द्वारा वाके चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/21 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 2.972 हैक्टेयर में से श्री मनफूल राम पुत्र श्री काशी राम के नाम से दर्ज 1485/11888 हिस्सा तथा लक्ष्मी देवी पुत्री श्री काशी राम के नाम से दर्ज 1485/11888 हिस्सा रकबा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में से मनफूल राम व लक्ष्मी देवी का नाम कलमजन कर, वादी का नाम दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 (खाता संख्या 20/21 चक 9 एच एच) की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 7 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 07.02.2023 प्रस्तुत किया। वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर के द्वारा की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा हक परित्याग के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां, मनफूल राम पुत्र श्री काशी राम के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसनामा की फोटो प्रतियां तथा श्रीमती लक्ष्मी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा की प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया।

प्रति0 सं0 7 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 07.02.2023, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 (खाता संख्या 20/21) चक 9 एच एच की प्रमाणित प्रतियां के आधार पर एवम् पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 07.02.2023 के अनुसार वाके चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/21 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 2.972 हैक्टेयर में से श्री मनफूल राम पुत्र श्री काशी राम के नाम से दर्ज 1485/11888 हिस्सा का तथा लक्ष्मी देवी पुत्री श्री काशी राम के नाम से दर्ज 1485/11888 हिस्सा रकबा का वादी इन्द्रसेन पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट सा0 9 एच एच को खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि मृतक मनफूल राम पुत्र काशी राम व मृतका लक्ष्मी देवी पुत्री श्री काशी राम का नाम कलमजन कर वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08 फरवरी 2023 को जारी किया गया।

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(आई. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री
(Order 20 Rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर

इन्द्रसेन पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ....वादी

ब नाम

1. रामकुमार पुत्र श्री मनफूल राम
2. पूनम पुत्री श्री रामकुमार
3. सुमन पुत्री श्री रामकुमार

} जाति जाट सा0 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

4. रणजीत पुत्र श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री काशी राम
5. जसवन्त पुत्र श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री काशी राम

} जाति जाट निवासी दुलमाना तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

6. शकुन्तला पुत्री श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री काशी राम जाति जाट निवासी 1 एम एल के जालवाली तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रति. संख्या 1 ता 6)
पैरोकार राज (प्रतिवादी संख्या 7)

वाद संख्या 03/2023
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय जनवेजा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 श्री रोबिन गुम्बर व पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 7 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि:–

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 07.02.2023 के अनुसार वाके चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/21 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 2.972 हैक्टेयर में से श्री मनफूल राम पुत्र श्री काशी राम के नाम से दर्ज 1485/11888 हिस्सा का तथा लक्ष्मी देवी पुत्री श्री काशी राम के नाम से दर्ज 1485/11888 हिस्सा रकबा का वादी इन्द्रसेन पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट सा0 9 एच एच को खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि मृतक मनफूल राम पुत्र काशी राम व मृतका लक्ष्मी देवी पुत्री श्री काशी राम का नाम कलमजन कर वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। अतः डिक्री जारी की जाती है। रूपये ....शून्य....वास्त....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय मय ब्याज...शून्य....दर रूपये.....शून्य.... आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08 फरवरी 2023 को जारी की गई।

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(आई. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
		स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प आवेदन पत्र	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	वकील शुल्क	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
वकील शुल्क	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	व्यय इजराय	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	कुल	00.00
कुल	00.00		

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(आई. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner